न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीमती रक्षा पारीक आर.ए.एस.**
पत्रावली संख्या. 03/2024
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 14.05.2024 **निर्णय दिनांक: 22.05.2024**

उनवान

1. लहरीलाल पिता लछा जी रेगर निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमंद

............प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मतणसिंह पिता पर्वतसिंह चुण्डावत निवासी सेलागुडा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद
2. ऋतुराजसिंह पिता लक्ष्मणसिंह चुण्डावत निवासी सेलागुडा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, आमेट जिला राजसमदं

..................विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् पत्थरगढी

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता शराफत हुसैन फौजदार

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् पत्थरगढी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमेट, पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद में प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की भूमि स्थित है जिसके खाता सं. नया 616 व पुराना 873 आराजी नं. 2608 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी नं. 2609 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नं. 2610 रकबा 0.1200 हैक्टेयर आंशिक किता 03 रकबा 0.4700 हैक्टेयर है। प्रार्थी की कृषि आराजीयात के सटमा विपक्षी सं. 1, 2 की भूमि स्थित है तथा कुछ भूमि खाली पडी हुई है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि को हडपने की नियत से वादग्रस्त आराजी में नाजायज रूप से कब्जा कर हस्तक्षेप करना चाहते है तथा आए दिन भूमि की सीमा के बारे में विवाद करते है। प्रार्थी श्रीमान् तहसीलदार साहब आमेट के समक्ष अपनी उक्त आराजीयात का सीमा जानकारी करवाने का निवेदन किया तथा नियमानुसार पटवारी साहब एवं आर.आई. साहब को मौके पर विपक्षी सं. 1 व 2 को स्पष्ट बता दिया कि उक्त भूमि जो कि प्रार्थी की है, विपक्षी का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की नपती कर पत्थरगढी की जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, क्योकि विपक्षी सं. 1 व 2 प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण एवं हस्तक्षेप करने के लिए आमादा है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम आमेट, पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित भूमि जिसका वर्णन उक्त में कर रखा है का विपक्षीगण की मौजूदगी में सीमाबन्दी कर पत्थरगढी करवायी जावे, प्रार्थी का खर्चा विपक्षीगण से दिलवाया जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

उप खण्ड अधिकारी जिला राजसमंद

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 ने उपस्थित होकर प्रा.पत्र को स्वीकार करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किए एवं विपक्षी सं. 02 विपक्षी संख्या 01 का पुत्र होने से उसकी ओर से विपक्षी सं. 01 ने सहमति दी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में ग्राम आमेट, पटवार हल्का आमेट, तहसील आमेट जिला राजसमंद की जमाबन्दी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया कि ग्राम आमेट, पटवार हल्का आमेट, तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित खाता सं. नया 616 व पुराना 873 आराजी नं. 2608 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी नं. 2609 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नं. 2610 रकबा 0.1200 हैक्टेयर आंशिक किता 03 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की है, जिसमें प्रार्थी नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि को हडपने की नियत से वादग्रस्त आराजी में नाजायज रूप से कब्जा कर हस्तक्षेप करना चाहते है तथा आए दिन भूमि की सीमा के बारे में विवाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस मे दिये गये उजरात एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह ताईद है कि प्रार्थी व उसका परिवार विवादित जमीन का तन्हा रिकार्डेड खातेदार है एवं विपक्षीगण ने भी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपनी सहमति दी है, वैसे भी प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में पत्थरगढी करने पुर्ण अधिकार है जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का स्वीकार किया जाने का योग्य पाती हुं ।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम आमेट, पटवार हल्का आमेट, तहसील आमेट जिला राजसमंद में खाता सं. नया 616 व पुराना 873 आराजी नं. 2608 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी नं. 2609 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नं. 2610 रकबा 0.1200 हैक्टेयर आंशिक किता 03 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी करने हेतु मौका कमिश्नर तहसीलदार आमेट को नियुक्त किये जाते है कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत उक्त भूमि की पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस समयावधि के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति तहसीलदार आमेट को भेजी जावें ।

(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **22.05.2024** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)